

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

**173 भीम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य)
की विधान सभा के लिए निर्वाचन**

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री हरिसिंह रावत पिता पन्ना सिंह

154 सड़क का बाड़िया नन्दावट तहसील भीम जिला राजसमन्द
जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - राजसमन्द

दिनांक - 03-12-2023




(उम्मेद सिंह राजावत)
रिटर्निंग अधिकारी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 173 भीम
(एस0डी0एम0) भीम

FORM - 21 C

(See. rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From the
173-BHIM Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation
of the People Act, 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961,
I declare that --

Shri Harisingh Rawat S/o Panna Singh

154, Sadak Ka Badiya Nandawat Tehsil Bhim , District Rajsamand

Sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in
that house from the above constituency.

Place : Rajsamand

Date : 03-12-2023



(Ummed Singh Rajawat)

रिटर्निंग अधिकारी
Returning Officer

Assembly Constituency 173 BHIM
विधानसभा क्षेत्र-173
(S.D.M) Bhim (Rajsamand)